حکومت بہار

محکمہ کابینہ سکریٹریٹ

اردو ڈائرکٹوریٹ

''اردو مسودہ اشاعتی امداد منصوبہ'' کے تحت درخواست طلبی نوٹس

مالی سال 27-2026 کے لئے محکمہ کابینہ سکریٹریٹ، اردو ڈائرکٹوریٹ کے ذریعہ اردو مسودوں پر اشاعتی امداد فراہم کرنے کے لیے بہار کے (اصل باشندہ) اردو ادیبوں/ شاعروں/ قلم کاروں سے اردو ادب کی مختلف اصناف کے معیاری، طبع زاد و غیر مطبوعہ مسودے، منسلکہ مجوزہ فارم میں درخواست مطلوبہ شرائط کے ساتھ طلب کی جاتی ہے۔ شرائط مندرجہ ذیل ہیں:

1۔ پیش کردہ مسودہ میں کسی بھی مذہب، قوم، حکومت اور عوامی **جذبات** کو مجروح کرنے والی کوئی **بات** نہیں ہونی چاہیے۔

2۔ ''مسودہ اشاعتی امداد'' صرف ویسے ادیبوں/ شاعروں/ قلم کاروں کو قابل ادا ہوگی جن کے مسودوں کے معیار کے تجزیہ کے بعد امداد کی سفارش متعلقہ ''اردو مسودہ اشاعتی انتخاب کمیٹی'' کے ذریعہ کی جائے گی۔ اس کے متعلق کمیٹی کا فیصلہ حتمی ہوگا۔

3۔ اردو مسودہ اشاعتی امداد کے لیے مطلوبہ شرائط کے ساتھ قلم کار اپنے مسودے کی کمپوزڈ (15 پوائنٹ فونٹ میں) **دو مکمل کاپیاں** (دیباچہ/ پیش لفظ/ مقدمہ سمیت) بتاریخ **30.11.2026 کو 6:00 بجے شام تک اردو ڈائرکٹوریٹ، محکمہ کابینہ سکریٹریٹ، بھنیشور ناتھ رینو ہندی بھون، نزد آکاش وانی، چھجو باغ، پٹنہ۔800001** کے پتے پر بذات خود **یا** بذریعہ ڈاک دستیاب کرا **سکتے** ہیں۔ صرف کمپوزڈ مسودوں پر غور کیا جائے گا۔ **نا** مکمل/ ہاتھ سے لکھے ہوئے اور مقررہ تاریخ کے بعد موصول مسودے پر غور نہیں کیا جائے گا۔

4۔ تحقیقی مقالہ (پی ایچ۔ڈی تھیسس) پر اشاعتی امداد منظور نہیں کی جائے گی۔

5۔ اشاعتی امداد حاصل کر چکے قلم کاریا ان کے خاندان یعنی شوہر/ بیوی/ **بیٹا**/ بیٹی امداد حاصل کرنے کے تین سال بعد ہی دوبارہ اپنا مسودہ اشاعتی امداد کے لیے پیش کر سکیں گے۔ مسودہ امداد کے لیے قلم کاریا ان کے خاندان سے **ایک** ہی وقت میں **ایک** ہی درخواست قابل غور ہوگی۔

6۔ اردو ڈائرکٹوریٹ کے 'اردو مسودہ اشاعتی امداد منصوبہ' سے شائع شدہ کتاب کی تین کاپیاں چھ ماہ کے **اندر** بغیر قیمت، اردو ڈائرکٹوریٹ کو فراہم کرانا لازمی ہوگا۔

7۔ امداد موصول ہونے کے چھ ماہ کی مدت کے **اندر** کتاب کی طباعت نہیں کرانے کی صورت میں امداد کی پوری رقم **یک** مشت اردو ڈائرکٹوریٹ، محکمہ کابینہ سکریٹریٹ کو واپس کرنی ہوگی۔ امدادی رقم واپس نہیں کرنے کی صورت میں **حسب** ضابطہ رقم وصولی کی کارروائی کی جائے گی۔

8۔ مسودوں کے ہر **ایک** صفحہ کی تخلیق کی گنتی Demy Size صفحات کی **بنیاد** پر کی جائے گی۔ **نثری** ادب کے لئے ہر **ایک** صفحہ پر کم از کم **تناسب** کے اعتبار سے 24-22 سطور کی تخلیق ہونی چاہئے اور شعری تخلیقات کے لئے کم از کم 07-06 اشعار کی تخلیق ہونی چاہئے۔

9۔ **'اردو مسودہ اشاعتی امداد' سے طبع شدہ کتاب کے اندرونِ سرورق پر مندرجہ ذیل عبارت لازمی طور پر تحریر ہونی چاہیے:**

''یہ کتاب اردو ڈائرکٹوریٹ، محکمہ کابینہ سکریٹریٹ، حکومت بہار کے 'اردو مسودہ اشاعتی امداد منصوبہ' کے تحت موصول رقم سے شائع ہوئی ہے اور مصنف کے خیالات سے محکمہ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔''

10۔ امدادی رقم کا استعمال صرف منظور شدہ مسودے کی اشاعت کے لئے ہی کیا جائے گا۔

11۔ امداد موصول ہونے کے بعد مسودہ کو شائع نہیں کرانے کے لیے یہ دلیل قابل قبول نہیں ہوگی کہ مسودہ کی اشاعت کے لیے موصولہ رقم ناکافی ہے۔

12۔ امداد کے لیے جن مسودوں کا انتخاب متعلقہ کمیٹی کے ذریعہ نہیں کیا جائے گا، ان مسودوں کو متعلقہ ادیبوں/ شاعروں/ قلم کاروں کو واپس کر دیا جائے گا۔

13۔ امداد کے لیے منظور شدہ مسودہ محکمہ کی ملکیت ہوگی۔ اس کی **ایک** کاپی مصنف کو برائے اشاعت لوٹائی جائے گی اور مصنف منظور شدہ مسودہ کو ہی شائع کرائیں گے۔

14۔ مذکورہ 'اشاعتی امداد منصوبہ' کے تحت صرف ریاست بہار کے (اصل باشندہ) اردو ادیبوں/ شاعروں/ قلم کاروں کے مسودوں پر ہی غور کیا جائے گا۔ درخواست دہندگان کو ان کے آدھار کارڈ/ پاسپورٹ/ ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ کی خود سے تصدیق شدہ فوٹو کاپی درخواست کے ساتھ دستیاب کرانا لازمی ہوگا۔

15۔ **درخواست کے ساتھ اس امر کا حلف نامہ (نوٹری پبلک سے) بھی منسلک کرنا لازمی ہوگا:**

(1) یہ مسودہ میری طبع زاد اور غیر مطبوعہ تخلیق ہے۔

(2) یہ تحقیقی مقالہ (تھیسس) نہیں ہے۔

(3) گذشتہ تین سال کے **اندر** مجھے **یا** میرے خاندان یعنی شوہر/ بیوی/ **بیٹا**/ بیٹی کے ذریعہ اردو ڈائرکٹوریٹ سے 'مسودہ اشاعتی امداد' حاصل نہیں کی گئی ہے۔

(4) پیش کردہ مسودے میں کسی بھی مذہب، قوم، حکومت اور عوامی **جذبات** کو مجروح کرنے والی کوئی **بات** مندرج نہیں ہے۔

(5) میں ریاست بہار کا/ کی اصل باشندہ ہوں۔

(ایس.ایم. پرویز عالم)
ایڈیشنل سکریٹری بشمول ڈائرکٹر

D:\Sayeed\Pandul\Pandulip 2026-27 بسلودہ

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
उर्दू निदेशालय

उर्दू पाण्डुलिपि प्रकाशन अनुदान योजना के अधीन आवेदन–पत्र के आमंत्रण की सूचना

वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, उर्दू निदेशालय द्वारा उर्दू पाण्डुलिपि प्रकाशन अनुदान प्रदान किये जाने के निमित्त उर्दू साहित्य की विविध विधाओं में स्तरीय, मौलिक एवं अप्रकाशित पाण्डुलिपियाँ बिहार राज्य के साहित्यकारों/कवियों/क़लमकारों से संलग्न विहित प्रपत्र में आवेदन–पत्र निम्नांकित शर्तों के साथ आमंत्रित किया जाता है :–

1. प्रस्तुत पाण्डुलिपि में किसी भी धर्म, राष्ट्र, सरकार और जन भावनाओं को आहत करने वाली कोई बात न हो।

2. उर्दू पाण्डुलिपि प्रकाशन अनुदान केवल वैसे लेखकों/साहित्यकारों/कवियों को देय होगा जिनकी रचना की गुणवत्ता एवं स्तरीयता की सीमक्षा तथा अनुदान की अनुशंसा उर्दू पाण्डुलिपि प्रकाशन अनुदान चयन समिति द्वारा की जायेगी। इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा।

3. उर्दू पाण्डुलिपि प्रकाशन अनुदान हेतु वांछित शर्त्तों के साथ लेखक अपनी पाण्डुलिपि की टंकित (15 प्वाईंट फॉन्ट में) **दो पूर्ण प्रतियाँ** (दीबाचा/ पेश–ए–लफ़्ज़/मुक़द्दमा सहित) **दिनांक–30.11.2026 को संध्या 6:00 बजे तक उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, फणीश्वरनाथ रेणु हिन्दी भवन, निकट–आकाशवाणी, छज्जुबाग़, पटना–800001** के पता पर निर्धारित तिथि एवं कार्यालय अवधि में स्वयं/निबंधित डाक/कूरियर द्वारा उपलब्ध करा सकते हैं। मात्र टंकित पाण्डुलिपियों पर विचार किया जायेगा। अपूर्ण एवं हस्तलिखित तथा निर्धारित समय–सीमा के बाद प्राप्त पाण्डुलिपियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. शोध प्रबंध (थीसिस) पर प्रकाशन अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

5. **अनुदान प्राप्त लेखक या उनके एकल परिवार (Nuclear Family), यथा पति/पत्नी, पुत्र एवं पुत्री अनुदान प्राप्ति के तीन वर्षों के बाद ही पुनः उर्दू पाण्डुलिपि प्रकाशन अनुदान हेतु अपनी पाण्डुलिपि प्रस्तुत कर सकेंगे। पाण्डुलिपि अनुदान हेतु लेखक या उनके एकल परिवार के आवेदकों में से एक समय में एक ही आवेदक को अनुदान देय होगा।**

6. उर्दू निदेशालय के उर्दू पाण्डुलिपि प्रकाशन अनुदान योजना से प्रकाशित पुस्तक की तीन प्रतियाँ छः माह के अन्दर उर्दू निदेशालय को निःशुल्क उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

7. अनुदान प्राप्ति के छः माह के भीतर पुस्तक प्रकाशित नहीं कराने की स्थिति में अनुदान की सम्पूर्ण राशि एकमुश्त मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, उर्दू निदेशालय को लौटानी होगी। अनुदान राशि नहीं लौटाने पर नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जायेगी।

8. पाण्डुलिपियों की प्रत्येक पृष्ठों की गणना Demy Size के पृष्ठों के आधार पर की जायेगी तथा गद्य साहित्य के लिए प्रत्येक पृष्ठ पर रचना न्यूनतम औसत रूप में 22–24 लाईनों की होनी चाहिए तथा पद्य रचानाओं के लिए न्यूनतम 06–07 अशआर की रचना होनी चाहिए।

9. "उर्दू पाण्डुलिपि प्रकाशन अनुदान योजना" से प्रकाशित पुस्तक के टाईटिल कवर के बाद एक पृष्ठ पर लेखक द्वारा यह वाक्य अंकित करना अनिवार्य होगा।

   "यह पुस्तक उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार, पटना के उर्दू पाण्डुलिपि प्रकाशन अनुदान योजना अंन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि से प्रकाशित हुई है तथा लेखक के विचारों से विभाग का सहमत होना ज़रूरी नहीं है।"

10. अनुदान राशि का उपयोग केवल स्वीकृत पाण्डुलिपि के प्रकाशन के लिए ही किया जाएगा।

11. अनुदान प्राप्त करने के बाद पाण्डुलिपि को प्रकाशित नहीं कराने हेतु यह तर्क स्वीकार नहीं होगा कि पाण्डुलिपि के प्रकाशन हेतु प्राप्त राशि अपर्याप्त है।

12. अनुदान हेतु जिन पाण्डुलिपियों का चयन नहीं किया जाएगा, उन्हें लेखकों को वापस लौटा दिया जायेगा।

13. अनुदान प्राप्त पाण्डुलिपि विभाग की धरोहर होगी। उसकी एक प्रति लेखक को प्रकाशनार्थ लौटायी जाएगी। लेखक स्वीकृत पाण्डुलिपि का ही प्रकाशन कराएंगे।

14. पाण्डुलिपि प्रकाशन अनुदान योजना की परिधि में केवल बिहार राज्य के उर्दू साहित्यकार/लेखक लाये जा सकेंगे। आवेदकों/लेखकों को स्व–अभिप्रमाणित साक्ष्य यथा आधार कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस आदि की छायाप्रति आवेदन के साथ उपलब्ध करानी होगी।

15. **शपथ–पत्र (नोटरी पब्लिक से) के माध्यम से लेखक यह घोषणा करेंगे कि :–**

    1. प्रस्तुत पाण्डुलिपि मेरी मौलिक एवं अप्रकाशित रचना है।
    2. यह शोध–ग्रंथ नहीं है।
    3. विगत तीन वर्षों के अन्दर मुझे और मेरे एकल परिवार (Nuclear Family), यथा पति/पत्नी, पुत्र एवं पुत्री द्वारा उर्दू निदेशालय से पाण्डुलिपि प्रकाशन अनुदान योजना अंतर्गत राशि प्राप्त नहीं की गयी है।
    4. प्रस्तुत पाण्डुलिपि में किसी भी धर्म, राष्ट्र, सरकार एवं जन भावनाओं को आहत करने वाली कोई बात अंकित नहीं है।
    5. मैं बिहार राज्य का/की मूल निवासी हूँ।

22/10/26

(एस०एम० परवेज़ आलम)
अपर सचिव–सह–निदेशक।

आवेदक

مسودے کی اشاعتی امداد کے لیے درخواست کا مجوزہ فارم

پاسپورٹ سائز
تصویر چسپاں
کریں

بخدمت :
ایڈیشنل سکریٹری بشمول ڈائرکٹر
اردو ڈائرکٹوریٹ، محکمہ کابینہ سکریٹریٹ
پھنیشور ناتھ رینو ہندی بھَون، نزد آکاش وانی
چھجو باغ، پٹنہ، بہار– 800001

موضوع : **اردو ڈائرکٹوریٹ، محکمہ کابینہ سکریٹریٹ کے تحت ''اردو مسودہ اشاعتی امداد منصوبہ''، مالی سال 27-2026 کے لیے درخواست۔**

جناب عالی!

مذکورہ موضوع کے سلسلے میں مطلوبہ اطلاعات حسب ذیل ہیں:–

1 مصنف/شاعر/ادیب کا قلمی نام : .....
2 بینک کھاتے کے مطابق نام (ہندی میں) : .....
3 بینک کھاتے کے مطابق نام (انگریزی میں) : .....
4 بینک کا نام، بینک اکاؤنٹ نمبر، IFS Code : .....
(پاس بک کی فوٹو کاپی اور کینسل چیک کی کاپی منسلک کریں) .....
5 آدھار اور پین نمبر (فوٹو کاپی منسلک کریں) : .....
6 والد/شوہر کا نام : .....
7 مسودے کا عنوان اور صنف : .....
8 کیا مسودہ طبع زاد اور غیر مطبوعہ ہے؟ : .....
9 قبل میں خود یا اپنی فیملی (شوہر/بیوی/بیٹا/بیٹی جو ہو) کو حاصل اشاعتی امداد کا سال : .....
10 مستقل پتہ : .....
: .....
: .....
.....
11 موجودہ/خط و کتابت کا پتہ .....
: .....
.....
.....
12 موبائل نمبر : (i).....(ii).....
13 ای۔میل آئی ڈی : .....

میں اس بات کا اقرار کرتا/کرتی ہوں کہ میں نے مذکورہ مسودے پر کسی دوسرے ادارے سے اشاعتی امداد نہیں لی ہے۔ میں اردو مسودہ اشاعتی امداد کے لیے طے شدہ سبھی شرائط پوری کرتا/کرتی ہوں۔

منسلکہ : (i) مسودے کی دو کاپیاں
(ii) حلف نامہ (نوٹری پبلک سے)
(iii) پاس بک کی فوٹو کاپی اور کینسل چیک کی کاپی
(iv) آدھار/پاسپورٹ/ڈرائیونگ لائسنس کے ساتھ پین کارڈ کی فوٹو کاپی

مخلص

دستخط : .....
تاریخ : .....

पाण्डुलिपि प्रकाशन अनुदान हेतु आवेदन–पत्र का प्रपत्र

सेवा में,

अपर सचिव–सह–निदेशक
उर्दू निदेशालय
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
फणीश्वरनाथ रेणु हिन्दी भवन
निकट–आकाशवाणी, छज्जुबाग़
पटना, बिहार–800001

पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएँ।

विषय :– **उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत "उर्दू पाण्डुलिपि प्रकाशन अनुदान योजना, वित्तीय वर्ष 2026–27" हेतु आवेदन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में वांछित सूचना निम्नाकित है :–

1. लेखक / कवि / साहित्यकार (उप नाम) : .....
2. बैंक खाता के अनुसार नाम (हिन्दी में) : .....
3. बैंक खाता के अनुसार नाम (अंग्रेजी में) : .....
4. बैंक का नाम, खाता संख्या तथा IFS Code: .....
   (पासबुक की छायाप्रति एवं कैंसिल चेक की प्रति संलग्न करें)
5. आधार एवं पैन संख्या (छायाप्रति संलग्न करें) : .....
6. पिता / पति का नाम : .....
7. पाण्डुलिपि का शीर्षक एवं विधा : .....
8. क्या पाण्डुलिपि मौलिक एवं अप्रकाशित है? : .....
9. पूर्व में प्राप्त प्रकाशन अनुदान स्वयं अथवा एकल परिवार : .....
   (पति / पत्नी, पुत्र एवं पुत्री) (यदि हो) का वर्ष
10. स्थायी पता : .....
    .....
    .....
11. वर्तमान पता / पत्राचार का पता : .....
    .....
    .....
12. मोबाईल नं० : (i)....., (ii) .....
13. ई–मेल आई०डी० : .....

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूं कि मैंने उक्त पाण्डुलिपि पर किसी अन्य संस्था से प्रकाशन अनुदान नहीं लिया है। मैं उर्दू पाण्डुलिपि प्रकाशन अनुदान के लिए निर्धारित सभी शर्तें पूरी करता / करती हूँ।

<u>अनुलग्नक</u> :–

(i) दो प्रतियों में पाण्डुलिपि।
(ii) शपथ–पत्र (नोटरी पब्लिक से)।
(iii) पासबुक की छायाप्रति एवं कैंसिल चेक की प्रति।
(iv) आधार कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस के साथ पैन कार्ड (छायाप्रति)।

विश्वासभाजन,

हस्ताक्षर :– .....

तिथि :–